

अनुदान संख्या 67 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 67 - MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	7513,20,00		
		7513,24,00	5624,20,16	-1889,03,84
पूरक	Supplementary	4,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1708,12,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	59,00,00		
		1059,00,00	23,62,80	-1035,37,20
पूरक	Supplementary	1000,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			32,36,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	75893.00		
पू.	S.	2.00	15222.36	.. -15222.36
पु.	R.	-60672.64		

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"	
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries	
मू.	O.	651615.00
पू.	S.	2.00
पु.	R.	88767.85

562849.15 560056.09 -2793.06

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"	
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments	
मू.	O.	21570.00
पु.	R.	-21567.00

3.00 .. -3.00

(I) ₹97465.00 लाख का प्रावधान (सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तेइस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹95781.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹97465.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021) remained wholly unutilised under twenty three heads; of these ₹95781.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(A) Major Head "2552"-

(क) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल को अंशदान - प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणता प्रमाणन - राज्य" - ₹1524.00 लाख;

(a) "Contribution to Central Resource Pool for Development of North Eastern Region - Technology Upgradation and Quality Certification - States" - ₹1524.00 lakhs;

(ख) "ग्राम और लघु उद्योग - खादी और ग्राम उद्योग - खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" - ₹7219.00 लाख;

(b) "Village and Small Industries - Khadi and Village Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹7219.00 lakhs;

(ग) "ग्राम और लघु उद्योग - नारियल रेशा उद्योग - खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास" - ₹5371.00 लाख;

(c) "Village and Small Industries - Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹ 5371.00 lakhs;

(घ) "ग्राम और लघु उद्योग - अन्य ग्राम उद्योग - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण

(d) "Village and Small Industries- Other Village Industries - Prime Minister's Employment

सहायक स्कीमें” – ₹36624.00 लाख;

Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes”- ₹36624.00 lakhs;

(ड) “ग्राम और लघु उद्योग – लघु उद्योग” –

(e) “Village and Small Industries - Small Scale Industries”-

(i) “प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन” – ₹527.00 लाख;

(i) “Technology Upgradation and Quality Certification” - ₹527.00 lakhs;

(ii) “प्रधानमंत्री रोगगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें” – ₹6502.00 लाख; (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) “Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes” - ₹6502.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs);

(iii) “विपणन संवर्धन स्कीम” – ₹773.00 लाख;

(iii) “Marketing Promotion Scheme”- ₹773.00 lakhs;

(iv) “अवसंरचना विकास कार्यक्रम” – ₹11512.00 लाख;

(iv) “Infrastructure Development Programme” - ₹11512.00 lakhs;

(v) “अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन” – ₹910.00 लाख; और

(v) “Research and Evaluation Studies”- ₹910.00 lakhs; and

(च) “ग्राम और लघु उद्योग – अन्य व्यय – उद्यमिता और कौशल विकास” – ₹3949.00 लाख।

(f) “Village and Small Industries - Other Expenditure - Entrepreneurship and Skill Development”- ₹3949.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above ten heads remained wholly unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम” –

(B) Major Head “3601”- “Centrally Sponsored Scheme”-

(क) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” –

(a) “Centrally Assistance / Share”-

(i) “प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन –राज्य” – ₹8420.00 लाख प्रस्तावों की

(i) “Technology Upgradation and Quality Certification - States”- ₹8420.00 lakhs

प्राप्ति न होने और स्कीम मांग पर आधारित होने की वजह से कम मांग होने के कारण थे।

- due to non-receipt of proposals and less demand, scheme being demand driven.

(ii) “उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम – राज्य” – ₹4000.00 लाख;

(ii) “Entrepreneurship and Skill Development Programme (ESDP) - State”- ₹4000.00 lakhs;

(iii) “अधिप्राप्ति और विपणन सहायता स्कीम” – ₹2500.00 लाख;

(iii) “Procurement and Marketing Support Schemes”- ₹2500.00 lakhs;

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम – राज्य” – ₹750.00 लाख;

(i) “Entrepreneurship and Skill Development Programme (ESDP)- States”- ₹750.00 lakhs;

(ii) “प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन – राज्य” – ₹2600.00 लाख; और

(ii) “Technology Upgradation and Quality Certification - States”- ₹2600.00 lakhs; and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन – राज्य” – ₹2600.00 लाख।

(c) “Tribal Area Sub-Plan” - “Technology Upgradation and Quality Certification - States”- ₹2600.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत स्कीम दिशानिर्देशों में राज्य शीर्षों के अंतर्गत निधियों के प्रावधान न होने की वजह से राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

Provision under the above five heads remained wholly unutilised due to non-receipt of proposals from State Governments owing to non-provisioning of funds under State heads in the scheme guidelines.

(II) मुख्य शीर्ष “2851” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head “2851”- savings occurred under the following heads:-

(का) “लघु उद्योग” –

(A) “Small Scale Industries”-

(क) “अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन” – ₹2577.36 लाख की बचत (₹2695.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्र कार्यालयों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(a) “Research and Evaluation Studies”- saving of ₹2577.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2695.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from field offices.

(ख) “विपणन संवर्धन स्कीम” – ₹2211.74 लाख की बचत (₹3479.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम मांग पर आधारित होने से स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) “उद्यमिता और कौशल विकास” – ₹10261.76 लाख की बचत (₹23658.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) “अवसंरचना विकास कार्यक्रम” – ₹44188.14 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹113909.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “नारियल रेशा उद्योग – खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास” – ₹4410.27 लाख की बचत (₹37978.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और स्कीम मांग पर आधारित होने के कारण कम मांग होने के कारण हुई।

(गा) “खादी और ग्राम उद्योग – खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास” – ₹28814.25 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹75529.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, स्कीम मांग पर आधारित होने के कारण कम मांग होने के कारण हुई।

(घा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(क) “उद्यमिता और कौशल विकास” – ₹5893.87 लाख की बचत (₹5900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और

(b) “Marketing Promotion Scheme”- saving of ₹2211.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3479.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards implementation of the scheme, scheme being demand driven.

(c) “Entrepreneurship and Skill Development”- saving of ₹10261.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23658.00 lakhs);

(d) “Infrastructure Development Programme”- saving of ₹44188.14 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹113909.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in February, 2021);

(B) “Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries”- saving of ₹4410.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37978.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less receipt of viable proposals and less demand, scheme being demand driven.

(C) “Khadi and Village Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries”- saving of ₹28814.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹75529.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in February, 2021) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less proposals and less demand, scheme being demand driven.

(D) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(a) “Entrepreneurship and Skill Development”- saving of ₹5893.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5900.00 lakhs)

एमएसएमई विकास संस्थानों द्वारा बिलों का निपटान लंबित रहने के कारण हुई।

was due to non-receipt of viable proposals and pending settlement of bills by MSME Development Institutes.

- | | |
|--|--|
| <p>(ख) “अवसंरचना विकास कार्यक्रम” – ₹4410.80 लाख की बचत (₹10360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी के सुपुर्दगी में विलंब होने की वजह से सिविल कार्य को पूरा करने में विलंब होने के कारण हुई।</p> | <p>(b) “Infrastructure Development Programme”- saving of ₹4410.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10360.00 lakhs) was due to delay in completing civil work owing to delay in delivery of machinery.</p> |
| <p>(ग) “खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योगों का विकास” – ₹7342.80 लाख की बचत (₹16508.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;</p> | <p>(c) “Development of Khadi, Village and Coir Industries” - saving of ₹7342.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16508.00 lakhs);</p> |
| <p>(घ) “प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन” – ₹1239.15 लाख की बचत (₹1257.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;</p> | <p>(d) “Technology Upgradation and Quality Certification”- saving of ₹1239.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1257.00 lakhs);</p> |
| <p>(ङ) “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजनाएं” – ₹18696.25 लाख की बचत (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹76700.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;</p> | <p>(e) “Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes”- saving of ₹18696.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹76700.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh);</p> |
| <p>(च) “विपणन संवर्धन स्कीम” – ₹946.64 लाख की बचत (₹951.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;</p> | <p>(f) “Marketing Promotion Scheme”- saving of ₹946.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹951.00 lakhs);</p> |
| <p>(छ) “अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन” – ₹765.00 लाख की बचत (₹10010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;</p> | <p>(g) “Research and Evaluation Studies”- saving of ₹765.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10010.00 lakhs);</p> |
| <p>(ड) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –</p> | <p>(E) “Tribal Area Sub-Plan” -</p> |
| <p>(क) “खादी, ग्राम और नारियल रेशा उद्योग का विकास” – ₹4590.56 लाख की बचत (₹9919.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;</p> | <p>(a) “Development of Khadi, Village and Coir Industries” - saving of ₹4590.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9919.00 lakhs);</p> |

- (ख) “प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन” – ₹692.15 लाख की बचत (₹710.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ग) “विपणन संवर्धन स्कीम” – ₹734.04 लाख की बचत (₹736.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (घ) “उद्यमिता और कौशल विकास” – ₹3143.26 लाख की बचत (₹3150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ङ) “अवसंरचना विकास कार्यक्रम” – ₹2914.00 लाख की बचत (₹4389.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (च) “अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन” – ₹505.00 लाख की बचत (₹2510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (चा) “अन्य व्यय” –
- (क) “विपणन संवर्धन स्कीम” – ₹1159.87 लाख की बचत (₹1335.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “उद्यमिता और कौशल विकास” – ₹15490.00 लाख की बचत (₹17890.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ग) “अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन” – ₹938.81 लाख की बचत (₹1726.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (b) “Technology Upgradation and Quality Certification”- saving of ₹692.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹710.00 lakhs);
- (c) “Marketing Promotion Scheme”- saving of ₹734.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹736.00 lakhs);
- (d) “Entrepreneurship and Skill Development”- saving of ₹3143.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3150.00 lakhs);
- (e) “Infrastructure Development Programme”- saving of ₹2914.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4389.00 lakhs);
- (f) “Research and Evaluation Studies”- saving of ₹505.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2510.00 lakhs);
- (F) “Other Expenditure”-
- (a) “Marketing Promotion Scheme”- saving of ₹1159.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1335.00 lakhs);
- (b) “Entrepreneurship and Skill Development”- saving of ₹15490.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17890.00 lakhs); and
- (c) “Research and Evaluation Studies”- saving of ₹938.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1726.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त चौदह शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और स्कीम के मांग पर आधारित होने के कारण कम मांग होने के कारण हुई।

Savings under the above fourteen heads were due to less receipt of viable proposals and less demand, scheme being demand driven.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹481.40 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 44 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप (₹69765.93 लाख) से प्रयुक्त हो गईं जैसाकि सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष “2851” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किए गए ₹4.00 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) “लघु उद्योग” –

(क) “प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन” – ₹47969.93 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹47836.49 लाख था।

(ख) “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)” – ₹17241.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹17240.50 लाख था।

(खा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें” – ₹4555.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4551.75 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2851” – “अन्य ग्राम उद्योग – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीमें” – ₹1348.00 लाख का अधिक व्यय (₹107176.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹103537.20 लाख) सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹100000.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 98 प्रतिशत थीं।

(III) Under one head saving of ₹481.40 lakhs occurred constituting 44 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹69765.93 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in September, 2020 and February, 2021 under Major Head “2851”- under the following heads:-

(A) “Small Scale Industries”-

(a) “Technology Upgradation and Quality Certification”- ₹47969.93 lakhs. Actual excess, however, was ₹47836.49 lakhs.

(b) “Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)” - ₹17241.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹17240.50 lakhs.

(B) “Tribal Area Sub-Plan - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes”- ₹4555.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4551.75 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2851”- “Other Village Industries - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes”- excess of ₹1348.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹107176.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3 In the capital section of the grant, the overall saving (₹103537.20 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹100000.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 98 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas			
पू.	S.	10000.00	..	-10000.00
मुख्य शीर्ष "4851"	Major Head "4851"			
ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Village and Small Industries			
मू.	O.	5830.00		
पू.	S.	90000.00	92664.00	2362.80
पु.	R.	-3166.00		-90301.20

(I) ₹100070.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹100000.00 लाख का पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹100070.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these supplementary provision of ₹100000.00 lakhs accounted for under the following major head:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "लघु उद्योग - निधियों की निधि" - ₹10000.00 लाख का पूरक प्रावधान; और

(A) Major Head "4552" - "Small Scale Industry - Fund of Funds"- supplementary provision of ₹10000.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष "4851" - "लघु उद्योग - निधियों की निधि" - ₹90000.00 लाख का पूरक प्रावधान।

(B) Major Head "4851" - Small Scale Industries - Fund of Funds"- supplementary provision of ₹90000.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कोविड-19 महामारी की वजह से स्कीम का संचालन न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained wholly unutilised due to non-operation of scheme owing to COVID-19 pandemic

(II) मुख्य शीर्ष “4851” – “लघु उद्योग – अवसंरचना स्थापना डीसी (एमएसएमई)” – ₹3467.20 लाख की बचत (₹5830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने और स्कीम मांग पर आधारित होने के कारण कम मांग होने और कोविड-19 महामारी की वजह से देशभर में यातायात बाधित होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “4851”- “Small Scale Industries - Infrastructure Establishment DC (MSME)”- saving of ₹3467.20 lakhs (against the sanction provision of ₹5830.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and less demand, scheme being demand driven and countrywide blockage of transportation owing to COVID-19 pandemic.
